

SPEED - POST

क्र. 023 / सं.सं. / अशा.महा.एन.ओ.सी. / 2022,

भोपाल, दिनांक : 4.03.2022

प्रति,

✓ आर्या सोसायटी फॉर फैशन डिजाईनिंग,
201 / 120, पार्क व्यू अपार्टमेंट,
एम.आर. सोसायटी, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय: राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर से नवीन महाविद्यालय,
प्रारंभ करने के लिए सम्बद्धता हेतु NOC प्रदान करने बावत्।

संदर्भ: (1) आपका आवेदन दि. 25.03.22

✓ (2) संचालनालय का पत्र क्र. 3916 दिनांक 16.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण तथा जानकारी के आधार पर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 की संशोधित धारा 22 {(मूल अधिनियम की धारा 22(पांच)} के प्रावधान एवं म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग द्वारा जारी नवीन अशासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय प्रारंभ करने/पाठ्यक्रमों (उपाधि) के उन्नयन / नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत क्र. 1171/2786/2017/तीस दिनांक 01.09.20 के प्रावधान अनुरूप आपकी संस्था को नवीन महाविद्यालय (नाम : आर्या कॉलेज ऑफ फैशन डिजाईनिंग, भोपाल) प्रारंभ करने तथा स्नातक स्तर तक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु, संशोधित अनापत्ति/अनुज्ञा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक

संस्कृति संचालनालय

क्र. / सं.सं. / अशा.महा.एन.ओ.सी. / 2022,

भोपाल, दिनांक : 4.03.2022

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल - सूचनार्थ।
2. कुल सचिव, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला वि.वि., ग्वालियर -- उक्त संदर्भ में संबंधित प्रावधानों एवं नियमसंगत अग्रिम कार्रवाई हेतु।

हस्ता.

सहायक संचालक

संस्कृति संचालनालय